FROM No. -III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बदनोर

फतहसिंह पिता माधुसिंह राजपूत **बनाम** **हरिसिंह पिता माधु सिंह वगै0**
निवासी–गोवलिया **निवासी–गोवलिया**

किस्म मुकदमा–प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–128 रा.ले.रेवे. एक्ट **प्रकरण संख्या– 14/2021**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.03.2021	प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजी मुतदाविया प्रार्थी के खातेदारी की आराजियात हैं। विपक्षीगण उक्त आराजियात के पडौसी हैं। जिनको भूमि सीमा की जानकारी नही होने से वह आये दिन जमीन की कमी बेशी को लेकर विवाद करते रहते हैं। इसलिये प्रार्थी अपने खातेदारी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अन्त में कथन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावें। मैंने वकील प्रार्थी को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत् **2074 से 2074 मौजा गोवलिया पटवार हल्का भोजपुरा तहसील बदनोर की आराजी नम्बर– 112, 171, 178, 516/166, 518/166, 521/182, 523/182, 524/176, 529/69, 530/169, 532/180, 534/71 किता 12 रकबा 1.9250 हैक्टयर** भूमि के प्रार्थी खातेदार/काश्तकार दर्ज रेकार्ड होना प्रकट आया हैं। तदनुसार प्रार्थीगण उक्त भूमि के पत्थरगढ़ी कराने के अधिकारी पाये जाने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य हैं। **–:आदेश:–** प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया **मौजा गोवलिया पटवार हल्का भोजपुरा तहसील बदनोर की आराजी नम्बर– 112, 171, 178, 516/166, 518/166, 521/182, 523/182, 524/176, 529/69, 530/169, 532/180, 534/71 किता 12 रकबा 1.9250 हैक्टयर** भूमि के पडौसियान को सूचित कराया जाकर कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रार्थीगण से नियमानुसार 1000/रु (एक हजार रु0) पत्थरगढी शुल्क वसूल किया जाकर राज कोष मे जमा कराया जावें। भू0 अ0 नि0 **बदनोर** पत्थरगढी से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त हितबद्ध पडौसी एवं खातेदारान को उक्त आराजीयात की पत्थरगढी की लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथी बाबत सूचित करेगें तथा मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बदनोर को भिजवाई जावे। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर करें। आदेश आज दिनांक 31.03.2021 को खुली अदालत में सुनाया गया। (घनश्याम शर्मा) उपखण्ड अधिकारी बदनोर (जिला-भीलवाड़ा)	